...लो दिनांक ......

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार द्वारा बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सिद्ध होने से स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा में पत्रावली की आदेशिका दिनांक 02.7.2020 के आदेश को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर वे कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.02.05 14:53:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner